

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2019

जयपुर, दिनांक: 28/8/2019

राज्य परियोजना निदेशक,  
समग्र शिक्षा अभियान,  
जयपुर।

**विषय:-** बी.एड. एवं डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण बाबत।

**संदर्भ:-** ई-मेल दिनांक 27.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि बी.एड. एवं डी.एल.एड. (शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण इस विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2018 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही राज्य एवं जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।


बी.एड. एवं डी.एल.एड. (शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम चरण में इन्टर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण दिनांक 15.09.2019 तक आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(ज्योति चौहान)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त (शालादर्पण) समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. समसा, जयपुर।
7. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर।
8. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
9. समस्त, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
10. सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ समसा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(एस. एन. यादव)  
अनुसंधान अधिकारी

